(109)

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)—72

REGISTERED No. D. (D.L.)—72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 1982/आषाढ़ 22, 1904
No. 213] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 1982/ASADHA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1982

सा. का. नि. 493(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 41) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) का निम्नलिखित अवतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. धारा 1 में, उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक, चंडीगढ़ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है" ।

2. धारा 2 में,—

(क) प्रारंभिक भाग में "पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958, जैसा वह चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड 1 में, उपधारा (1) में, जैसा उस खण्ड द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए निदेशित किया गया है,—

(1) प्रारंभिक भाग में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जो उसमें पहली बार आए हैं, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे और उन्हीं शब्दों के स्थान पर, जो उसमें दूसरी बार आए हैं, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा ;

(2) प्रथम परन्तुक में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा ;

(3) तीसरे परन्तुक के पहले भाग में "पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 के प्रारंभ"

शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) के प्रारम्भ" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, उसमें पहली बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द और उसमें दूसरी बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ,

(ग) खण्ड (2) में परन्तुकों के स्थान पर, जो मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) में जोड़े जाने के लिए उस खण्ड द्वारा निर्देशित किए गए हैं,

निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) द्वारा, यथा संशोधित इस धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर विद्युत शुल्क की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा नियत तारीख के पश्चात् आने वाली पहली मीटर रीडिंग तारीख के साथ प्रारम्भ होने वाले मीटर द्वारा दर्शित उपभाग को गणना में लिया जाएगा ;

परन्तु यह और कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा नियत की गई तारीख से प्रारम्भ होने वाली और उस तारीख के पश्चात् आने वाली पहली मीटर रीडिंग तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्युत शुल्क की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) का चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार नहीं किया गया था ।

"स्पष्टीकरण—इस धारा में "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।"

3. धारा 3 का लोप किया जाएगा ।

उपबंध

चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958 का संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक, चंडीगढ़ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

स्पष्टीकरण —इस उपधारा में, "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।

2. 1958 के पंजाब अधिनियम 10 की धारा 3 का संशोधन—

चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त, पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई ऊर्जा पर बारह पैसे प्रति यूनिट से अनधिक ऐसे दर पर, जो प्रशासक समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, विद्युत शुल्क कहा जाने वाला शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को संदत्त किया जाएगा :

परन्तु प्रशासक विभिन्न प्रवर्गों के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकता है :

परन्तु यह और कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विद्युत शुल्क की दर बारह पैसे प्रति यूनिट से अधिक हो सकती है किन्तु दस पैसे प्रति यूनिट से उस ऊर्जा पर अधिक नहीं होगी जिसका विवाह या अन्य धार्मिक अथवा सामाजिक उत्सव के अवसर पर प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अस्थाई कनेक्शन या विद्यमान कनेक्शन के अस्थाई विस्तार द्वारा उपभोग किया जाता है :

परन्तु यह और कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) के प्रारम्भ से, जब तक कि विद्युत शुल्क की दरें इस धारा के अधीन प्रशासक द्वारा पहली बार विनिर्दिष्ट की जाती हैं, विद्युत शुल्क बोर्ड द्वारा उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई ऊर्जा पर उद्गृहीत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को संदत्त किया जाएगा और इसकी संगणना निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :

(1) जहां ऊर्जा का प्रदाय घरेलू उपभोक्ता को किया जाता है, वहां विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट आठ पैसे होगी ;

(2) जहां विद्युत का प्रदाय वाणिज्यिक उपभोक्ता के लिए किया जाता है वहां विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट दस पैसे होगी ;

(3) जहां विद्युत का प्रदाय किसी अन्य प्रवर्ग के उपभोक्ताओं को किया जाता है वहां विद्युत की

दर इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट पांच पैसे होगी :

परन्तु यदि ऐसा उपभोक्ता घरेलू या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसे इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के किसी भाग का उपयोग करता,—

(क) जहां घरेलू या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के मापने के लिए किसी पृथक मीटर को लगाया जाता है, वहां इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा के भाग पर विद्युत शुल्क की दर यथास्थिति खण्ड (1) या खंड (2) में यथा विनिर्दिष्ट होगी, और

(ख) जहां घरेलू या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा को मापने के लिए कोई पृथक मीटर नहीं लगाया जाता है वहां इस प्रकार प्रदाय की गई सम्पूर्ण ऊर्जा पर जिसके अन्तर्गत इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा भी है, विद्युत शुल्क की दर इस खण्ड (2) में यथा विनिर्दिष्ट होगी ;

(4) जहां विद्युत का प्रदाय किसी ऐसे उपभोक्ता को किया जाता है जो विवाह या अन्य धार्मिक अथवा सामाजिक उत्सव के अवसर पर प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अस्थाई कनेक्शन या विद्यमान कनेक्शन के अस्थाई विस्तार द्वारा अनुज्ञप्तिधारी नहीं है, वहां विद्युत शुल्क की दर पूर्ववर्ती खंडों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट दस रुपए होगी और

(5) जहां ऊर्जा का प्रदाय किसी अनुज्ञप्तिधारी को किया जाता है, वहां विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट पांच पैसे होगी :

परन्तु उस ऊर्जा के, जिसका ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय किया जाता है, जो धारा 2 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी नहीं है, निम्नलिखित को प्रदाय किए जाने पर :—

(क) घरेलू उपभोक्ता या वाणिज्यिक उपभोक्ता को, विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार विक्रय की गई ऊर्जा पर यथास्थिति खण्ड (1) या खण्ड (2) में यथा विनिर्दिष्ट होगी ;

(ख) किसी अन्य प्रवर्ग के उपभोक्ताओं को, विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार विक्रय की गई ऊर्जा पर खण्ड (3) में यथा विनिर्दिष्ट होगी ; और

(ग) किसी भी उपभोक्ता को, जो विवाह या अन्य धार्मिक अथवा सामाजिक उत्सव के अवसर पर प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अस्थाई कनेक्शन या विद्यमान कनेक्शन के अस्थाई विस्तार द्वारा उपभोक्ता है, विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार विक्रय की गई ऊर्जा पर खण्ड (4) में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।''।

(2) उप-धारा (4) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

''परन्तु चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) द्वारा यथा संशोधित इस धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर विद्युत शुल्क की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा नियत तारीख के पश्चात् आने वाली मीटर रीडिंग की तारीख से प्रारंभ होने वाले मीटरों द्वारा दर्शित उपभोग को गणना में लिया जाएगा :

परन्तु यह और कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा नियत की गई तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख के पश्चात् आने वाली पहली मीटर रीडिंग की तारीख समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्युत शुल्क की संगणना ऐसे की जाएगी मानो पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25) का चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार नहीं किया गया था ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''प्रशासक'' से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।''।

3. निरसन और व्यावृत्ति—(लोप किया गया)

[सं. यू-11013/3/82-यू.टी.एल. (150)]

आर. वी. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 1982

G.S.R. 493(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section 1, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Chandigarh Gazette, appoint.

Explanation.—In this sub-section 'Administrator' means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution.".

2. In section 2,—

(a) in the opening portion, for the words, brackets and figures "the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958", the words, brackets and figures 'the Punjab Electricity

(Duty) Act, 1958, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(b) in clause (1), in sub-section (1) directed by that clause to be substituted in section 3 of the principal Act,—

(i) in the opening portion, for the words "State Government" occurring therein for the first time, the words "Central Government" shall be substituted and for the same words occurring therein for the second time, the word "Administrator" shall be substituted;

(ii) in the first proviso, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted;

(iii) in the opening portion of the third proviso, for the words, brackets and figures 'the commencement of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981", the words, brackets and figures "commencement of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) in the Union territory of Chandigarh", for the words "State Government" occurring therein for the first time, the words "Administartor", and for the words "State Government" occurring therein for the second time, the words "Central Government" shall be substituted;

(c) in clause (2), for the provisos directed by that clause to be added to sub-section (4) of section 3 of the principal Act, the following provisos and Explanation shall be substituted; namely :—

'Provided that for the purpose of computing the electricity duty at the rates specified in this section as amended by the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as extended to the Union territory of Chandigarh, the consumption shown by the meters commencing with the first meter reading date falling after the date appointed by the Administrator under sub-section (2) of section 1 of the said Act shall be taken into account :

Provided further that, for the period commencing with the date appointed by the Administrator under sub-section (2) of section 1 of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as extended to the Union territory of Chandigarh, and ending with the first meter reading date falling after that date, the electricity duty shall be computed as if the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) had not been extended to the Union territory of Chandigarh.

Explanation.—In this section "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution.

3. Section 3 shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT ACT, 1981 (PUNJAB ACT No. 25 OF 1981) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH.

An Act to amend the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981.

(2) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Chandigarh Gazette, appoint.

Explanation.—In this sub-section, "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution.

2. Amendment of section 3 of Punjab Act 10 of 1958.—In the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3,—

(1) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be levied and paid to the Central Government on the energy supplied by the Board to a consumer or a licensee a duty to be called the electricity duty, at such rate not exceeding twelve paise per unit as the Administrator may, from time to time, by notification specify :

Provided that the Administrator may specify different rates for different categories of consumers :

Provided further that the rate of electricity duty to be specified by the Government may exceed twelve paise per unit but shall not exceed ten rupees per unit of energy consumed through a temporary connection or temporary extension of an existing connection for the purpose of illumination on the occasion of a marriage or other religious or social function :

Provided further that as from the commencement of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) in the Union territory of Chandigarh, till the rates of electricity duty are for the first time specified by the Administrator under this section, the electricity duty shall be levied and paid to the Central Government on the energy supplied by the Board to a consumer or a licensee and it shall be computed at the following rates :—

(i) where the energy is supplied to a domestic consumer, the rate of electricity duty shall be eight paise per unit of energy so supplied;

(ii) where the energy is supplied to a commercial consumer, the rate of electricity duty shall be ten paise per unit of energy so supplied ;

(iii) where the energy is supplied to any other category of consumers, the rate of electricity duty shall be five paise per unit of energy so supplied :

Provided that if such a consumer uses any part of the energy so supplied to him for a domestic or commercial purpose,—

(a) where a separate meter is installed for measuring energy so used for a domestic or commercial purpose, the rate of electricity duty on the part of the energy so used shall be as specified in clause (i) or clause (ii), as the case may be, and

(b) to where a separate matter is not installed for measuring energy so used for a domestic or commercial purpose, the rate of electricity duty on the whole of the energy so supplied, including the energy so used, shall be as specified in clause (ii);

(iv) where the energy is supplied to any consumer, not being a licensee through a temporary connection or a temporary extension of an existing connection for the purpose of illumination on the occasion of a marriage or other religious or social function, the rate of electricity duty shall be ten rupees per unit of the energy so supplied notwithstanding anything to the contrary contained in the preceding clause; and

(v) where the energy is supplied to a licensee, the rate of electricity duty shall be five paise per unit of the energy so supplied .

Provided that on the supply of energy which is sold by a licensee not being a licensee as specified in such clause (ii) of clause (d) of section 2,—

(a) to a domestic consumer or a commercial consumer, the rate of electricity duty on the energy so sold

shall be as specified in clause (i) or clause (ii), as the case may be;

(b) to any other category of consumers, the rate of electricity duty on the energy so sold shall be as specified in clause (iii); and

(c) to any consumer, through a temporary connection or a temporary extension of an existing connection for the purpose of illumination on the occasion of a marriage or other religious or social function, the rate of electricity duty on the energy so sold shall be as specified in clause (iv).";

(2) to sub-section (4), the following provisos shall be added, namely :—

Provided that for the purpose of computing the electricity duty at the rates specified in this section as amended by the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as extended to the Union territory of Chandigarh, the consumption shown by the meters commencing with the first meter reading date falling after the date appointed by the Administrator under sub-section (2) of section 1 of the said Act shall be taken into account :

Provided further that, for the period commencing with the date appointed by the Administrator under sub-section (2) of section 1 of the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981), as extended to the Union territory of Chandigarh, and ending with the first meter reading date falling after that date, the electricity duty shall be computed as if the Punjab Electricity (Duty) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) had not been extended to the Union territory of Chandigarh.

Explanation.—In this section "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution".

3. Repeal and Saving.—[Omitted]

[No. U-11013/3/82-UTL (150)]

R. V. PILLAI, Jt. Secy.

IndiaCode

454 GI/82—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982